

# न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम


सु.नं 15/17 तारीख 23/11/2017

उत्तवान - रमेश बन्ना मनाहरी वगै. भोल्  
की कोठी

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

प्रार्थी की ओर से मनोज कुमार शर्मा एडवोकेट ने प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश किया। जमा बन्दी व प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी गणों के जरिये सम्मेलन से तालब किया जाने। पत्रावली क्रि.नं 9.5.17 को पेश हो।

1245-55  
11-4-17

  
उप जिला कलेक्टर  
टोडाभीम (फरीदी)

9.5.17

प्रार्थी वकील उप.। अप्रार्थी नं. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 की ओर से श्री सुरेश चंद शर्मा Adv. ने कालतनामा पेश किया। प्रतिवादी नं. 5 अजय द सूना उपस्थित नहीं उनके रिक्ता एक पक्षीय कार्मिकारी की जाती की अप्रार्थी 4, 10, 11 के मोटिस ब्याद शामिल प्रार्थना पत्र पर अप्रार्थी वकील एवं उपस्थित अप्रार्थी वकील की ओर से अंतिम अस्थाई निषेधाज्ञा के विषय पर कल सुनी गई। प्रार्थना पत्र मांगला प्रार्थी गण के पक्ष में प्रतीत होता है कि जै. जै. सापलान को डागा प्री सुनवाई लिखी तक ग्राम भोल् की कोठी की भूमि खं. नं. 713, 749, 750, 751, 752, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 0.76, 0.32, 0.35, 0.25, 0.47, 0.13, 0.10, 0.11, 0.18, 0.35, 0.15 कुल किला 12 कुल रकम 3.47 हे. प्र. रिवाड एवं मोल् के की पचासवित्त क्षति ररपे के

फर्द अहकाम

वकुलाय उप०। जबाब पेश कले अंतरिम आवसट दिपा गया। जबाब पेश कले दिनांक 23.7.19 को पेश हो।



23.7.19

वकुलाय उप०। जबाब पेश कले समय-चाहे कथन किया कि यदि डागाणी सुनवाई तिथी जबाब पेश नहीं किया गया है तो जबाब बन्द कर दिया जावे इस पर एक मौखिक दिपा गया। जबाब पेश कले दिनांक 14.8.19 को पेश हो।



14.8.19

वकुलाय उप०। जबाब पेश किया। शार्किन किया। जबाब की प्रति दिपावाई। कले कहल दिनांक 9.9.19 को पेश हो।



9.9.19

वकुलाय उपस्थित/पीठसन अधिकारी अवकाश पर पधार है। अतः पत्रावली गतानुसार दिनांक 1-10-19 को पेश हो।



11.10.19 को पेश  
माहितीपत्र प्रकाश : पत्र 1.2

समाचार/पत्र/पत्रिका

1-10-19

वकुलाय उपस्थित/पीठसन अधिकारी करौली पर पधार है। अतः पत्रावली गतानुसार दिनांक 22.10.19 को पेश हो।



22.10.19

वकील उभय पक्ष उपस्थित / वकील उभय पक्ष ने दावा के निलतारण होने तक अंतरिम अस्थाई निवेदाज्ञा को कन्फर्म कर दिने जोन का कथन किया। कहल पर मनन किया गया। अतः दावा प्राथमिक बिडी हो चुका है दिनांक 9.5.17 को जारी अंतरिम अस्थाई निवेदाज्ञा को कन्फर्म किया जना उपचित पाता है। अतः दिनांक 9.5.17 को जारी अंतरिम अस्थाई निवेदाज्ञा को दावा के निलतारण होने तक कन्फर्म किया जाता है पत्रावली कैसल नुमार होक जम्बोस कम होक दावा पत्रावली के साथ सैलजने रहे।



उपजिला कलक्टर  
टोडाभीम (करौली)